भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3480
17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई से खरीफ फसलों का अपवर्जन

3480: सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में 2023-28 की अवधि के लिए खरीफ फसलों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) से बाहर रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अपवर्जन के क्या कारण हैं और योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के कवरेज को बहाल किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र राज्य में पीएमएफबीवाई से खरीफ फसलों को बाहर करने के कारण प्रभावित किसानों की संख्या संबंधी डेटा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे किसानों का जिलावार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ.) महाराष्ट्र राज्य में खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की योजना महाराष्ट्र में सभी प्रकार की फसलों का समामेलन सुनिश्चित करने के लिए पीएमएफबीवाई के कवरेज को संशोधित या विस्तारित करने की है और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जी,नहीं । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) में सभी खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट्स और दलहन), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है, बशर्ते कि फसल कटाई प्रयोगों (सी.सी.ई.) के आधार पर अपेक्षित वर्षों के पिछले उपज आंकड़ों की उपलब्धता हो और साथ ही राज्य सरकार के पास दावों की गणना के लिए फसल की उपज का आकलन करने हेतु अपेक्षित संख्या में सीसीई आयोजित करने की क्षमता हो। तथापि, उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मौसम में संबंधित राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट फसल अधिसूचित की जाती है। उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाली फसलों के लिए, संबंधित राज्य सरकार उन्हें पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

(आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) के तहत कवरेज के लिए अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके तहत मौसम सूचकांक मापदंडों के आधार पर दावों के भुगतान की संरचना की जा रही है। वर्तमान निविदा चक्र रबी 2025-26 तक है। खरीफ 2024 में, खरीफ 2023 में शामिल सभी फसलों को भी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और पीएमएफबीवाई के तहत कोई भी फसल नहीं छोड़ी गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2024 के लिए पी.एम.एफ.बी.वाई. और आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. के तहत अधिसूचित फसलों का विवरण इस प्रकार है:

(i) उड़द, (ii) कपास (iii) रागी/मंडिका, (iv) मूंग, (v) मूंगफली, (vi) मक्का, (vii) रामतिल, (viii) प्याज, (ix) धान, (x) मिलेट्स (बाजरा), (xi)अरहर (रेड ग्राम/अरहर/तूअर), (xii) तिल (जिन्जेली/तिल)/सीसम, (xiii) ज्वार (ज्वार/ग्रेट मिलेट) और(xiv) सोयाबीन (भट)।

(ख) से (च): प्रश्न नहीं उठता।

******